सं0– 2288/उन्तीस/05–2(52पे0)/2003

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी
उधमसिंह नगर ।

पेयजल अनुभाग– देहरादूनः दिनांकः 28 मई, 2005

विषयः–काशीपुर जलोत्सारण योजना प्रथम चरण पार्ट–।। ए के अनुपूरक प्राक्कलन के सापेक्ष वर्ष 2005–06 में वित्तीय स्वीकृति

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम के कार्यालय पत्रांक 2189/धनावंटन प्रस्ताव/दिनांक 17.05.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि काशीपुर जलोत्सारण योजना प्रथम चरण पार्ट–।। ए के प्राक्कलन अनु0 लागत रू0 209.00 लाख की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 2533/ नौ– 2 (52पे0)/2003, दिनांक 05 नवम्बर, 2003 द्वारा प्रदान की गई थी। जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग की क्षतिपूर्ति हेतु रू0 19.88 लाख का प्राविधान भी सम्मिलित था। किन्तु अब लोक निर्माण विभाग द्वारा सीवर लाईन बिछाये जानें के कार राष्ट्रीय राजमार्ग की क्षतिपूर्ति हेतु उन्हें उपरोक्तानुसार अवमुक्त की गई धनराशि रू0 19.88 लाख को कम करते हुए रू0 60.66 लाख का प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुए धनराशि स्वीकृत करने का अपेक्षा की गई है। उक्त प्राक्कलन का टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त ऑकलित की गई औचित्यपूर्ण राशि रू0 60.04 लाख (रू0 साठ लाख चार हजार मात्र) की लागत के प्राक्कलन पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में लोक निर्माण विभाग को भुगतान हेतु रू030.02लाख अनुदान के रूप में तथा रू. 30.02 लाख ऋण के रूप में अर्थात कुल रू0 60.04 लाख (रु0 साठ लाख चार हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2 स्वीकृत धनराशि का आहरण अधिशासी अभियन्ता, उत्तरांचल पेयजल निगम निर्माण शाखा काशीपुर के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल जनपद उधमसिंह नगर के कोषागार में प्रस्तुत करके आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी तथा आहरण के तुरन्त बाद धनराशि का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किया जायेगा।

3– ऋण अंश के रूप में स्वीकृत धनराशि की वापसी एवं ब्याज अदायगी प्रस्तर–1 में सन्दर्भित शासनादेश संख्या 924/उन्तीस/04–2(46पे0)/2004 दिनांक 28 अप्रेल, 2004 में वर्णित शर्तो एंव प्रतिबन्धों के अधीन उत्तरांचल पेयजल निगम द्वारा की जायेगी।

क्रमश..2

4– अनुदान की धनराशि का व्यय ऋण राशि के साथ ही किया जायेगा

5– व्यय की शेष समस्त शर्तें उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 5 नवम्बर, 2003 के अनुसार रहेंगी ।

6– यदि यह धनराशि आहरित करके अपने बैंक खाते मे रखी जायेगी तो इस धनराशि पर समय समय पर अर्जित ब्याज को वित्त विभाग के दिशा निर्देशानुसार राजकोष मे जमा कर दिया जायेगा और उसकी सूचना शासन को भी दी जायेगी ।

7– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में आय–व्ययक के अनुदान सं0–13 के अन्तर्गत अनुदान की धनराशि लेखाशीर्षक" 2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01 –जलपूर्ति – आयोजनागत–101–शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम–05–नगरीय पेयजल–01–नगरीय पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए अनुदान–20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता" के नामे तथा ऋण की धनराशि लेखाशीर्षक– "6215–जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज–02 - मल–जल तथा सफाई–आयोजनागत–800–अन्य कर्ज–04–पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए ऋण–00–30–निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0–371 /वि0अनु0–3/2005 दिनांक 26 मई, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कँवर सिंह)
अपर सचिव

सं0– 2288(1)/उन्तीस/05–2(52पे0)/2003, तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1–महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
2–आयुक्त कुमॉयू मण्डल ।
3–प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून ।
4–वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंह नगर।

क्रमश:...3

5–मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान देहरादून।
6–अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तरांचल पेयजल निगम, काशीपुर को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को निर्देशित करें कि वे शासन में सम्पर्क कर प्राक्कलन में की गई कटौतियों का वितरण नौट कर लें।
7–वित्त अनुभाग–3/वित्त(बजट सैल)/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
8–निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
9–श्री एल0 एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त बजट अनुभाग ।
10–निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून ।
11–निदेशक, एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर,देहरादून

आज्ञा से

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव